समाहरणालय, बेगूसराय।

(कल्याण प्रशाखा)

(नामांकन सूचना संख्या–01/2026–27)

जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, एम0आर0जे0डी0 कॉलेज परिसर, बेगूसराय में नामांकन हेतु विज्ञापन

प्रवेशिका उत्तीर्ण अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आवासन एवं अन्यान्य सुविधा प्रदान किए जाने हेतु बेगूसराय जिला अन्तर्गत् पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अधीनस्थ संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, एम0 आर0 जे0 डी0 कॉलेज परिसर, बेगूसराय में छात्रों को आवासन की सुविधा उलब्ध कराने हेतु बेगूसराय जिले में अवस्थित छात्रावास की विवरणी निम्नवत है–

क्र0	छात्रावास का नाम	कोटि	आवासन क्षमता	रिक्ति
1	2	3	4	5
1	जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, एम0 आर0 जे0 डी0 कॉलेज, बेगूसराय	अति पिछड़ा वर्ग (5% दिव्यांग छात्र)	100	34

उक्त छात्रावास में उनके आवासन क्षमता एवं रिक्त स्थानों के विरूद्ध नामांकन हेतु आवेदन पत्र सूचना प्रकाशन तिथि से **20 कार्य दिवस** तक जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, बेगूसराय में प्रत्येक कार्य दिवस को **02:00 बजे अपराह्न से 04:00 बजे अपराह्न** तक आवेदन लिया जाएगा।

नामांकन की शर्तें:–

1. आवेदक अति पिछड़ा वर्ग के छात्र हो।
2. आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो।
3. आवेदक बेगूसराय जिला में स्थित किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नामांकित हो।
4. अर्हता प्राप्त आवेदकों में उच्च प्राप्तांक वाले छात्र को प्राथमिकता दी जायेगी एवं समान प्राप्तांक होने की स्थिति में निम्न आय वाले अभिभावक के बच्चों को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. आवेदक https://bcebconline.bihar.gov.in/cay/default.aspx पर ऑनलाईन आवेदन कर पावती कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

आवेदन की प्रक्रिया:–

1. आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में हस्तलिखित/टंकित होना चाहिए।
2. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
   - (i) आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो दो प्रति में।
   - (ii) आवेदक का जाति, आय एवं निवास प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
   - (iii) बेगूसराय जिला स्थित शिक्षण संस्थानों में नामांकन का साक्ष्य की छायाप्रति।
   - (iv) आधार कार्ड की छायाप्रति।
   - (v) विगत परीक्षा के अंक पत्र की छायाप्रति।
   - (vi) बैंक पासबुक की छायाप्रति (खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित)।
   - (vii) आवेदन पत्र अध्ययनरत् संस्थान के प्राचार्य द्वारा अग्रसारित होना अनिवार्य है।
   - (viii) चरित्र प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।

06/04/2026

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण पदाधिकारी, बेगूसराय।